**Newspaper : Jansatta**
**Edition: Delhi| Date: 14th February, 2019 | Pg. : 17**

# मेघालय सरकार ने कक्षाओं के अनुसार तय किया बस्तों का बोझ

शिलांग, 13 फरवरी (भाषा)।

मेघालय सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए कक्षाओं के अनुसार स्कूली बस्तों का बोझ तय किया है। पहली और दूसरी कक्षा के लिए गृह कार्य पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

राज्य शिक्षा विभाग के मुताबिक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के तहत स्कूल अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा प्रमुख सचिव डीपी वहलांग ने कहा कि हमने स्कूली बस्तों का बोझ संबंधी सीमा तय करने के लिए अधिसूचना के जरिए निर्देश जारी किए हैं। यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। विभाग ने संस्थान प्रमुखों से ऐसा टाइम टेबल बनाने को भी कहा है जिससे छात्रों को ज्यादा किताबें और कॉपी स्कूल न लानी पड़ें।

अधिसूचना के अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के बस्ते का बोझ डेढ़ किलो, तीसरी से पांचवीं कक्षा के छात्रों के बस्ते का बोझ तीन किलो, छठी और सातवीं कक्षा के छात्रों के बस्ते का बोझ चार किलो, आठवीं-नौवीं के लिए 4.5 किलो और दसवीं के लिए पांच किलो की सीमा तय की गई है। पहली और दूसरी कक्षा के लिए गृह कार्य पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

अधिसूचना के अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के बस्ते का बोझ डेढ़ किलो, तीसरी से पांचवीं तक की कक्षाओं के छात्रों के बस्ते तीन किलो से अधिक भारी नहीं होने चाहिए। विभाग ने कहा कि छठी और सातवीं कक्षा के लिए छात्रों के बस्ते अधिकतम चार किलो तक भारी हो सकते हैं।

आठवीं और नौवीं के लिए 4.5 किलो और दसवीं के लिए पांच किलो की सीमा तय की गई है।

आदेश में कहा गया है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों को टाइम टेबल के हिसाब से ही किताबें लाने को कहा जाए।

शिक्षा विभाग ने स्कूलों को पहली और दूसरी कक्षाओं के छात्रों को सीबीएसई, आइसीएसई या एमबीओएसई के पाठ्यक्रम के अलावा कोई गृह कार्य न देने का भी निर्देश दिया है।